



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267486
CG-DL-E-11112025-267486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947

No. 710]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2024

फा. सं. जेएनयू/शैक्षिक-III/3(17)/2025.—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 (1966 का 53) की धारा-16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्य परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिनियमावली, 1966 में एतद्वारा निम्नानुसार पुनर्संशोधन करता है:—

- (1) इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (संशोधित) परिनियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम, 1966 में परिनियम 23 (निरर्हता) के उप परिनियम (1)(क) और परिनियम 31 (शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों का निष्कासन) का उप परिनियम (1)(क) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—
परिनियम 23 का उप परिनियम (1)(क)
(क) “यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा मूक-बधिर है;”
परिनियम 31 का उप परिनियम (1)(क)
(क) “यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा मूक-बधिर है;”

प्रो. रविकेश, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./441/2025-26]

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 2024

F. No. JNU/Acad.III/3(17)/2025.—In exercise of the powers conferred by Act/Statute 16 of the Jawaharlal Nehru University Act 1966 (53 of 1966), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby make the following amendments further to amend the Jawaharlal Nehru University Statutes 1966, namely:—

1. (1) These Statutes may be called the Jawaharlal Nehru University (Amendment) Statutes, 2025.
(2) They shall come force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Jawaharlal Nehru University Act/Statute, 1966, sub Statute (1)(a) of Statute 23 (Disqualifications) and Statute (1)(a) of Statute 31(Removal of employees other than teachers) shall be read as under:—

Sub Statute (1)(a) of Statute 23:-

- (a) “if he is of unsound mind or is a deaf-mute; ”

Sub Statute (1)(a) of Statute 31:-

- (a) “if he is of unsound mind or is a deaf-mute”.

PROF. RAVIKESH, Registrar
[ADVT.-III/4/Ext./441/2025-26]